राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY MEGHALAYA
(An Institute of National Importance under MHRD)
बिजनी कॉमपलेक्स,लैटमुखाह,शिलांग-793007(भारत) Bijni Complex, Laitumkhrah, Shillong – 793003 (India)
दूरभास.Ph: +91-364-2501294 फैक्स Fax: +91-364-2501113Website: www.nitm.ac.in

संदर्भ सं. Ref. NoNITMEGH/ES/RAJBHASHA/I/2018-19 /288 दिनांक Dated06.02.2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Setting up of Check Points for effective implementation of Official Language Act and Rules.

As per the instructions of Ministry of Human Resources Development Govt. of India, New Delhi and as decided in the 1st Official Language Implementation Committee Meeting held on 22.01.2019 by the Competent Authority, the following Check Points are hereby set up with a view to ensure effective implementation of Official Language Act, 1963 and Rules framed under its various provisions.

Sl.No.	Subjects	Check Points
1.	To ensure all the documents* issued under Section 3(3) of Official Language Act in bilingual (in Hindi and English) Regarding compliance to ***Section 3(3) of Official Language Act 1963***, specified documents as ****General Orders, Memorandums, Notifications, Circulars, Notices, Press Communiqués, Tender Notices and Forms of Tender etc.*** are required to be issued in bilingual.	Concerned Dealing Assistant/Section Officer/ Signatory Officer Hindi Section will ensure translation of documents/letters into Hindi
2.	Letters received in Hindi should invariably be replied to in Hindi only	The Signatory Officer Hindi Section
3.	55% of letters meant to be sent to Central Govt. Offices in Region 'A', 'B' & 'C' to be issued in bilingual.	Concerned Dealing Assistant/Section Officer/ Signatory Officer & Hindi Section
4.	Entry to be made in Hindi in Service Books initially grant of leave, increment, promotion etc.) Appropriate rubber stamps shall be made in bilingual.	Concerned Officer/officials of Establishment Section
5.	To ensure Imparting of Hindi Language/Typing training to officers and officials as per the orders issued from time to time.	Establishment Section & Hindi Section
6.	Providing Unicode compatible Hindi Fonts in the computers	Computer & Hindi Section
7.	Institute's nomenclature & other details to be printed in stationeries, vehicles & such others as Forms, Rubber Stamps etc.in bilingual.	Establishment , Hindi & all concerned Sections
9	The Advertisements issued in English and other Languages should also be ensured to published in Hindi	All the issuing authority
10	Banners, Sign Boards, Name Plates, Invitation Cards/Letters and display items to be made in bilingual.	All concerned & Hindi Section
11	Website to be in bilingual and uploading all information in Hindi	Computer Section
12	Name /Headings and details in Registers to be made bilingual	All concerned Section

Compliance of the Check Points should be ensured. The progress of implementation of the same will be reviewed in the next OLIC Meeting of the Institute.

(B.N. Choudhury)
Registrar

To,
1. Secretary to the Director, NIT Meghalaya for kind information of the Director.

2. All the Members OLIC, NIT Meghalaya.	5. All Faculty and Staff of NIT Meghalaya.
3. All the Deans, NIT Meghalaya	6. e-notice board.
4. All Heads of Faculty, NIT Meghalaya	7. Concerned file.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY MEGHALAYA
(An Institute of National Importance under MHRD)

बिजनी कॉमपलेक्स,लैटमुख्राह,शिलांग-793007(भारत) Bijni Complex, Laitumkhrah, Shillong – 793003 (India)

दूरभास.Ph: +91-364-2501294 फैक्स Fax: +91-364-2501113Website: www.nitm.ac.in

संदर्भ सं. Ref. NoNITMEGH/ES/RAJBHASHA/I/2018-19/1288(A) दिनांक Dated06.02.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय:राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के प्रभावी अनुपालन हेतु जांच बिन्दु तैयार करने के संबंध में।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुदेश एवं दिनांक 22.01.2019 को आयोजित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय की प्रथम राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संस्थान में राजभाषा अधिनियम 1963 एवं इसके अंतर्गत विनिर्मित नियमों के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित जांच बिन्दु बनाए जाते हैं:

क्र.सं.	विषय	जांच बिन्दु
1.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी निर्धारित दस्तावेज यथा सामान्य आदेश,ज्ञापन,अधिसूचना,परिपत्र,सूचना,प्रेस विज्ञप्ति,निविदा सूचना एवं प्रपत्र आदि को द्विभाषी किया जाना आवश्यक है।	सभी संबद्ध सहायक/अनुभाग अधिकारी/हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी हिन्दी अनुभाग इन्हें द्विभाषी करना सुनिश्चित करेगा।
2.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों के जवाब निर्विवाद रूप से हिन्दी में देना।	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी व हिन्दी अनुभाग
3.	55% पत्र 'क', 'ख' व 'ग' क्षेत्र स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को द्विभाषी में भेजना।	सभी संबद्ध सहायक/अनुभाग अधिकारी/हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी एवं हिन्दी अनुभाग
4.	सेवा पुस्तिका में हिन्दी में प्रविष्टि करना प्रारंभ में छुट्टी,वेतन वृद्धि व प्रोन्नति आदि उपयुक्त द्विभाषी रबर की मोहर बनाकर।	स्थापना अनुभाग के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी
5.	समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप अधिकारियों व कर्मचारियों को हिन्दी भाषा एवं टंकण प्रशिक्षण प्रदान करना।	स्थापना एवं हिन्दी अनुभाग
6.	यूनीकोड समर्थित हिन्दी फोंटस को संस्थान के कम्पयूटरों में डालना।	कंप्यूटर व हिन्दी अनुभाग
7.	संस्थान के नाम एवं अन्य ब्यौरा का मुद्रण लेखन सामाग्री,वाहन आदि तथा प्रापत्रों व रबर के मोहरों को द्विभाषी में बनाना।	स्थापना, हिन्दी एवं सभी संबद्ध अनुभाग
9	अंग्रजी एवं अन्य भाषाओं में जारी विज्ञापनों को हिन्दी में भी जारी किया जाना।	जारी करने वाले प्राधिकारी
10	साईन बोर्ड त्रिभाषी में व बैनर्स,नाम पट्ट,आमंत्रण पत्र / कार्ड एवं प्रदर्शनी सामाग्री द्विभाषी में बनाना।	सभी संबंधित एवं हिन्दी अनुभाग
11	द्विभाषी वेबसाईट एवं सभी सूचनाएं हिन्दी में भी अपलोड करना।	कंप्यूटर अनुभाग
12	रजिस्टरों में नाम एवं विवरण द्विभाषी में बनाना।	सभी संबद्ध अनुभाग

जांच बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की समीक्षा संस्थान की आगामी राभाकास की बैठक में की जाएगी।

बि एन चौधुरी

(बि.एन. चौधुरी)

कुल सचिव

सेवा में: 1.निदेशक,राष्ट्रीय प्रौधोगिकी संस्थान मेघालय के सूचनार्थ निदेशक के सचिव को प्रेषित ।

2. राभाकास के सभी सदस्य राप्रोसं मेघालय।	5.सभी संकाय एवं कर्मचारी,राप्रोसं मेघालय।
3. सभी संकाय अध्यक्ष (डीन), राप्रोसं मेघालय।	6. ई-नोटिस बोर्ड, राप्रोसं मेघालय।
4. सभी विभाग अध्यक्ष, राप्रोसं मेघालय।	7. संबंधित फाईल